(421)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-49/2017-18/ 05 रा0 (वि) /मत्स्य, राँची, दिनांक 16.06.2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0 299.978 लाख (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "फीड बेस्ड फिशरीज" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 18/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही राँची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार उपकरण एवं मशीनों का क्रय किया जाना है।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो0 300.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 299.978 लाख (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तानवे हजार आठ सौ) रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 299.978 लाख (दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की निकासी स्वीकृत बजट शीर्ष से की जाएगी :-

क्र0	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध (लाख रू0 में)	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण **53 S 24050010156010317**	15.00	15.00
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050010156010323**	95.00	94.986
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-37-विद्युत व्यय **53 S 24050010156010337**	20.00	20.00
4	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **53 S 24050010156010759**	6.00	6.00
	उप योग :	**136.00**	**135.986**

(426)

5	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050078956010323**	36.00	36.00
	उप योग :	**36.00**	**36.00**
6	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण **53 S 24050079656010317**	15.00	15.00
7	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050079656010323**	107.00	106.992
8	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **53 S 24050079656010759**	6.00	6.00
	उप योग :	**128.00**	**127.992**
	कुल योग :	**300.00**	**299.978**

(दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तानवे हजार आठ सौ) रू0 मात्र।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-I के रुप में संलग्न है।

5. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

6. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. कंडिका '3' के तालिका के क्रमांक - 1 एवं 6 में कार्यालय उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़, कोडरमा एवं सरायकेला-खरसावाँ को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा (जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) फीड मिल के उपकरणों का कय GeM के माध्यम से किया जाएगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित तालिका के क्रमांक - 4 एवं 8 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के क्रमांक - 3 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

8. विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 18/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड पर ही यह लाभ कृषकों को **फीड के रुप में ही** दिया जाएगा।

9. उपर्युक्त कंडिका 8 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर भी अधिकतम 18/-रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा।

एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/-रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 12600/-(बारह हजार छः सौ) रू0 की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसीप्रकार रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मछली उत्पादन हेतु एक लाभुक को अधिकतम कुल 5000 किलोग्राम 2mm तक अथवा इससे बड़े साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/-रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। लाभुक द्वारा 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड का वास्तविक रूप में क्रय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 18/-रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

10. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्राब्धानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 - सी0एस0 - 2/ आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है। 13. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

14. वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय किया जाएगा।

15. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

16. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो। विषयगत योजनान्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जाय।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-

I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

III स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 रा०(वि) /मत्स्य, राँची, दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 रा०(वि) /मत्स्य, राँची, दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 05 रा०(वि) /मत्स्य, राँची, दिनांक 16.06.2021

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2021-22 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	2405-मछली पालन उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज																
		101-अन्तर्देशीय मछली पालन							796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03-प्रशासनिक व्यय-37- विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री			
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के कय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के कय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के कय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के कय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)			झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के कय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	राँची	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	50.00	9.000	28.00	5.040	5.000	0.000	15.00	2.700	93.00	21.7400
2	खूंटी	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.00	2.700	10.00	1.800	0.000	0.000	5.00	0.900	30.00	5.4000
3	गुमला	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.00	2.700	20.00	3.600	0.000	0.000	5.00	0.900	40.00	7.2000
4	सिमडेगा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	20.00	3.600	24.00	4.320	0.000	0.000	5.00	0.900	49.00	8.8200
5	लोहरदगा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	20.00	3.600	22.00	3.960	0.000	0.000	5.00	0.900	47.00	8.4600
6	लातेहार	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	20.00	3.600	0.000	0.000	5.00	0.900	25.00	4.5000
7	प0 सिंहभूम	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.00	2.700	40.00	7.200	0.000	0.000	5.00	0.900	60.00	10.8000
8	पूर्वी सिंहभूम	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	25.00	4.500	0.000	0.000	5.00	0.900	30.00	5.4000
9	सरायकेला	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	90.00	16.200	60.40	10.872	10.000	6.000	25.00	4.500	175.40	47.5720
10	दुमका	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	15.00	2.700	30.00	5.400	0.000	0.000	5.00	0.900	50.00	9.0000
11	जामताड़ा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	1.800	25.00	4.500	0.000	0.000	5.00	0.900	40.00	7.2000
12	साहेबगंज	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	20.00	3.600	0.000	0.000	5.00	0.900	25.00	4.5000
13	पाकुड़	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	1.800	10.00	1.800	0.000	0.000	5.00	0.900	25.00	4.5000
14	हजारीबाग	44.00	7.920	24.00	4.320	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	11.00	1.980	79.00	14.2200
15	रामगढ़	35.00	6.300	16.00	2.880	6.000	0.000	2.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	7.00	1.260	58.00	18.4400
16	कोडरमा	54.00	9.720	22.00	3.960	6.000	2.000	1.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	23.00	4.140	99.00	26.8200
17	चतरा	13.70	2.466	8.00	1.440	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	5.00	0.900	26.70	4.8060
18	बोकारो	59.00	10.620	24.00	4.320	0.000	0.000	11.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	11.00	1.980	94.00	27.9200
19	गिरिडीह	14.00	2.520	12.00	2.160	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	6.00	1.080	32.00	5.7600
20	धनबाद	36.00	6.480	18.00	3.240	3.000	4.000	6.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	8.00	1.440	62.00	24.1600
21	गोड्डा	14.00	2.520	12.00	2.160	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	6.00	1.080	32.00	5.7600
22	पलामू	14.00	2.520	8.00	1.440	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	6.00	1.080	28.00	5.0400
23	गढ़वा	14.00	2.520	8.00	1.440	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	6.00	1.080	28.00	5.0400
24	देवघर	55.00	9.900	23.00	4.140	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	16.00	2.880	94.00	16.9200
	योग	**352.70**	**63.486**	**175.00**	**31.500**	**15.000**	**6.000**	**20.000**	**260.00**	**46.800**	**334.40**	**60.192**	**15.000**	**6.000**	**200.00**	**36.000**	**1322.10**	**299.9780**

(दो करोड़ निन्यानवे लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव